भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

आरबीई न. 124/2023

सं. ई(एनजी)II/2021/आरआर-1/32 नई दिल्ली, दिनांक:16.11.2023

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलें/ उत्पादन इकाइयां
अध्यक्ष/रेल भर्ती बोर्ड आदि।

विषय: 7वें केंद्रीय वेतन आयोग पे-मैट्रिक्स के स्तर-6 में प्रोस्थेटिस्ट और ऑर्थोटिस्ट पद के लिए भर्ती नियम तैयार करना।

बोर्ड कार्यालय में प्रोस्थेटिस्ट और ऑर्थोटिस्ट के अराजपत्रित पद के लिए भर्ती नियम तैयार करना विचाराधीन था।

2. इस मामले की जांच की गई है और इस मंत्रालय ने स्वास्थ्य निदेशालय के साथ परामर्श एवं विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि प्रोस्थेटिस्ट और ऑर्थोटिस्ट के पद पर भर्ती के लिए निम्नलिखित मानदंडों का पालन किया जाए:

(i) पद की नामावली: प्रोस्थेटिस्ट और ऑर्थोटिस्ट।
(ii) वेतन स्तर: स्तर-6
(iii) भर्ती का तरीका: 100% सीधी भर्ती
(iv) शैक्षिक अर्हता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रोस्थेटिस्ट और ऑर्थोटिस्ट (बी.पी.ओ) में डिग्री।
(v) आयु सीमा: 20 से 30 वर्ष।

(यू.के. तिवारी)
निदेशक स्थापना (अराजपत्रित)
रेलवे बोर्ड